5193

(२५) 28

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 OCT 2007

529895

मेरठ

लेखपत्र का संक्षिप्त वि.वरण

1– भूमि का प्रकार	– कृषि
2– वार्ड परगना	–
3– मौहल्ला / ग्राम	– ग्राम नंगलाताशी कासमपुर जिला मेरठ
4– सम्पति का विवरण	– खसरा संख्या 165मि0 क्षेत्रफल 0.063 हैक्टेयर
5– मापन की ईकाई (हैक्टेयर / वर्गमीटर)	– हैक्टेयर
6– सम्पति का क्षेत्रफल	– क्षेत्रफल 0.063 हैक्टेयर
7– सड़क की स्थिति	– दिल्ली – देहरादून बाईपास मेरठ से 1.5 किमी अन्दर
8– सम्पति का प्रकार	– कृषि भूमि
9– स्थिति	– कृषि भूमि
10– प्रतिफल की राशि	अंकन 6,30,000/–(छः लाख तीस हजार रुपये केवल)

प्रथम पक्ष की संख्या – 1

1– नाम :– कलीराम पुत्र चन्दनसिंह
निवासी ग्राम बाबरी तहसील कैराना
जिला मुजफ्फरनगर
व्यवसाय :– कृषि

Kali Ram

द्वितीय पक्ष की संख्यां –1

नाम – श्री अभिषेक चन्दन जैन पुत्र श्री ....
नि0 ए–229, डिफैन्स कालोनी मवाना रोड मेरठ

व्यवसाय :–

Abhishek Chandra Jain

25 OCT 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

529894

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र मूल्य अंकन :- 6,30,000/- रूपये ॥

स्टाम्प शुल्क अंकन :- 63,000/- रूपये ॥

विकीत भूमि - भूमिधरी क्षेत्रफल 0.0630 हैक्टेयर स्थित खाता संख्या 68 खसरा न0 165 मि0 स्थित ग्राम नंगलाताशी कासमपुर परगना , तहसील व जिला मेरठ है, विकीत भूमि कृषि भूमि है और समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में अंकित है और अन्य प्रयोजन के लिये विकय की जा रही है , किन्तु चूंकि भूमि डैवलपर द्वारा कय की जा रही है इसलिये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, मेरठ द्वारा जारी सर्किल रेट दिनांक 31-07-2007 के पेज संख्या 121 पर अकिंत सामान्य निर्देश की धारा - 8 के अनुपालन में अन्य प्रयोजन का स्टाम्प अदा किया जा रहा है । विकीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग या जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है जो नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है जिसका अन्य प्रयोजन के

कमशः-2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 207482

18 OCT 2007

(2)

लिये सर्किल रेट अंकन 1,00,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है , जिसकी किस्म जमीन सेवटा है जिसमें कोई बाग अथवा पेड नहीं है विक्रेता तथा क्रेता आदिवासी अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नही है , तथा विक्रय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक किया गया है ।

विक्रय पत्र ओर से कलीराम पुत्र श्री कदम सिंह निवासी ग्राम बाबरी तहसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर के है :–

जोकि कुल विक्रीत भूमि 0.0630 हैक्टेयर स्थित खाता संख्या 68 खसरा न0 165 मि0 स्थित ग्राम नंगलाताशी कासमपुर परगना , तहसील व जिला मेरठ का मैं एकमात्र स्वामी एवं विक्रयाधिकारी एवं भूमिधर हूं और समस्त राजस्व लेखों में मेरा नाम पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित है । उपरोक्त भूमि – भूमिधरी आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उऋण एवं वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त तथा रहित है और मुझे पूर्ण स्वामी एवं भूमिधर होने के नाते उपरोक्त भूमि –

Kaliram Abhishek Jain

क्रमशः–3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 207483

18 OCT 2007

(3)

भूमिधरी को विक्रयपत्र आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है कोई वैधानिक [illegible] अथवा दोष मेरे विक्रयाधिकारों में बाधक नहीं है । मैने उपरोक्त भूमि – भूमिधरी की जमानत पर कोई करजा या उधार किसी बैंक या सोसायटी या किसी वित्तीय संस्था सरकारी या गैर सरकारी से प्राप्त नहीं कर रखा है और नांहि उपरोक्त भूमि – भूमिधरी के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है अतः उपरोक्त विक्रीत भूमि–भूमिधरी को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि आदि सहित बिना छोडे हुये किसी भी अधिकार व स्वत्व के चाहे उसका वर्णन इस विक्रयपत्र में किया गया हो अथवा न किया गया हो स्थिर मस्तिष्क व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 6,30,000/– (छः लाख तीस हजार रूपये) कि आधें जिसके अंकन 3,15,000/– (तीन लाख पन्द्रह हजार रूपये) होते है विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स एपैक्स प्रोपमार्ट प्रा0 लिमिटेड द्वारा मैनेजर अभिषेक चन्दन जैन पुत्र श्री आर0 के0 जैन निवासी ए–229, डिफैन्स कालोनी ,

क्रमशः–4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 124266

10 SEP 2007

(4)

मवाना रोड़ मेरठ को विक्रय कर दी है और बेच डाली और समस्त विक्रय मूल्य केता महोदय से निम्न प्रकार प्राप्त करके उपरोक्त भूमि – भूमिधरी को अपने अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर केता महोदय के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी, भूमिधर एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया और अब मुझ विकेता का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का विकीत भूमि – भूमिधरी से शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा । वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ

Abhishek Chandra Jain क्रमशः–5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 124267

10 SEP 2007

(5)

यह विक्रय विलेख पूर्ण प्रमाणित, वैधानिक एंव सर्वमान्य है और प्रयोग होने योग्य है । स्थल पर अधिपत्य भूमि – भूमिधरी का केता कम्पनी को दे दिया है केता विकीत भूमि – भूमिधरी को अपने प्रयोग में लाने तथा उसको अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करने के अधिकारी रहेगें और दाखिल खारिज कराकर कागजात माल में अपना नाम पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित करा लेने के अधिकारी रहेंगें यदि कागजात माल में नाम-अंकित कराने के सम्बन्ध में अगर मेरी कही पर भी अनुमति या स्तखतों व सहमति वगैरा की आवश्यकता होगी तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि अब अथवा भविष्य में विकीत भूमि – भूमिधरी अथवा उसका अंश किसी वैधानिक त्रूटिवश अथवा दोषवश केता महोदय के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या कोई ऋण अथवा भार विकीत भूमि – भूमिधरी पर पाया जायेगा और केता महोदय को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये चुकता करना पड जायेगा या विकय पत्र मिलकियम में कमी पाये जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्व हो

Abhishek chandra Jain

कमशः–6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 124268

10 SEP 2007

(6)

जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में केता को अधिकार प्राप्त होगा कि अपना समस्त विकय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो क्षति व खर्चा बैनामा व कानूनी ब्याज व वाद व्यय सहित मुझ

Abhishek Jain

क्रमशः–7

Lalita

आज दिनांक 02/11/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 1943

पृष्ठ सं. 319 से 346 पर क्रमांक 5193

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

देशराज सिंह
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर
2/11/2007

उत्तर प्रदेश